न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डनायक,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–डॉ. सूरज सिंह नेगी

प्रकरण संख्या 47/11 तारीख रजू 05/12/11

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक,सवाईमाधोपुर। ––सायल(प्रार्थी)

बनाम

श्री उम्मेश उर्फ बल्लू पुत्र डालचन्द माथुर निवासी धोबी मो0 शहर स0मा0 थाना कोतवाली सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर । ––गेर सायल(अप्रार्थी)

अभियोग–पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975

निर्णय दिनांक– 17/7/23

पुलिस अधीक्षक, सवाईमाधोपुर द्वारा यह अभियोग पत्र राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गैर सायल (अप्रार्थी) श्री उम्मेश उर्फ बल्लू पुत्र डालचन्द माथुर निवासी धोबी मो0 शहर स0मा0 थाना कोतवाली सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है। अभियोग पत्र के अनुसार गैरसायल (अप्रार्थी) के विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली सवाई माधोपुर मे निम्न अभियोग पंजीवद्व होना बताया है–

क्र.स.	मुकदमा नं0	दिनांक	धारा	चार्जशीट नं0	दिनांक	फैसला
1	326/18	20/06/18	13 आरपीजोओ	154	29/06/18	सजा
2	340/18	23/06/18	13 आरपीजोओ	158	29/06/18	सजा
3	172/18	09/04/18	13 आरपीजोओ	70	23/04/18	

उक्त पंजीबद्व आपराधिक प्रकरणो मे बाद जॉच चार्जशीट किता कर संबंधित न्यायालय मे चालान पेश किया गया। सक्षम न्यायालय द्वारा गैरसायल को प्रकरणो मे दोषी मानते हुए अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया। गैरसायल जुआ/सटटा खेलने व खिलाने का आदि है तथा रूपयों पैसों का दाव लगाकर सार्वजनिक स्थल पर जुआ खेलता है। गैरसायल जुआ में लिप्त रहकर बिना किसी कानून के भय के लगातार इसी अपराध को आदतन रूप से करता चला आ रहा है तथा स्वयं को जुआ किंग घोषित कर आम जनता में भय का माहौल उत्पन्न कर रहा है एवं अपने लाभ के लिए युवा पीढी को जुआ के अपराध में धकेल रहा है। जिससे समाज में भय संत्रास व आम नागरिक का जीवन खतरे में हो गया है। गैरसायल अभ्यासिक रूप से बिना कानून के भय के निर्वाद रूप से निरन्तर जुआ खेलने का अपराध कर रहा है। जो अवैध कार्य में लगातार दो बार सिद्व दोष हो चुका है तथा गैरसायल को स्थानीय निवास की अधिकारिता से बाहर किया जाना नितान्त आवश्यक है। बार–बार सिद्व दोष होने के बाबजूद इस शक्स के आचरण में कोई सुधार नही होकर विधि द्वारा निर्धारित दण्ड को कम आंक कर इस का अधिक फायदा पाया देखकर लगातार अपराध कर विधि के डर से बेखोफ हो चुका है। जो लोक व्यवस्था एवं लोक क्षेत्र के लिए घातक है। अतः गैर सायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

अभियोग पत्र के साथ तालिका मे अंकित प्रथम सूचना रिपोर्ट,चार्जशीट प्रति,न्यायालय निर्णय प्रतियां प्रस्तुत की है।

अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 के नियम–4 मे उल्लेखानुसार राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। गैरसायल जरिये अभिभाषक व असालतन उपस्थित होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने बहस मे तर्क दिया कि गैरसायल को मुकदमा नं0 326/18 व 340/18 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के अर्न्तगत माननीय न्यायालय के छ माह की समयावधि में दो

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:08:14 IST
Reason: SelfAttested

बार दोष सिद्ध कर अर्थदण्ड से दण्डित किया है तथा गैरसायल जुआ में लिप्त रहकर अपने व्यक्तिगत आर्थिक लाभ के लिए नवयुवा पीढी को जुआ खेलने की आपराधिक लत लगा दी है तथा उक्त गैरसायल की गतिविधियां अवैध एवं समाज विरोधी हो गई है । जिससे समाज में भय का माहौल पैदा हो गया है तथा आम नागरिक का जीवन खतरे में हो गया है। गैरसायल बिना कानून के भय के निर्वाद रूप से निरन्तर जुआ खेलने का अपराध कर रहा है। जो अवैध कार्य में लगातार दो बार सिद्ध दोष हो चुका है तथा गैरसायल को स्थानीय निवास की अधिकारिता से बाहर किया जाना नितान्त आवश्यक है।अतः गैरसायल को आदतन अपराधी मानते हुए राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 3 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करते हुए जिले से निष्काषित किया जावे।

विद्वान वकील गैरसायल ने जवाब मे अंकित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि पुलिस ने गलत तथ्यो के आधार पर गेर सायल के विरूद्व इस्तगासा पेश किया है जो ड्राप किये जाने योग्य है। मुकदमा संख्या 326/18, 340/18, 172/18, 13 आरपीजीओ एक्ट से सम्बन्धित है जो गुण्डा एक्ट की तारीफ में नहीं आता है, क्योंकि उक्त अपराध सिर्फ अर्थदण्ड से निस्तारित होते है। पुलिस ने गैरसायल के विरूद्व राजनैतिक द्वेषता व रंजित वंश मुकदमे दर्ज कराये गये थे। जिनमें गैरसायल को दो प्रकरणों में संबंधित न्यायालय द्वारा लोक अदालत की भावना से अर्थदण्ड से दण्डित करते हुए दोषमुक्त किया गया है तथा एक प्रकरण मुकदमा नं0 172/18 कोर्ट में पेण्डिग है। सायल ने उक्त इस्तगासा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अर्न्तगत प्रस्तुत किया है। जबकि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 में स्पष्ट प्रावधान है कि सायल द्वारा इस्तगासा पेश करने से पूर्व छः माह की अवधि में गैरसायल द्वारा तीन बार अपराध कारित करते हुए पाया जाना आवश्यक है। जबकि गैरसायल को दो मुकदमें में ही द्वोष सिद्व किया गया है। अतः उक्त इस्तगासा प्रारम्भ से ही शून्य है, साथ ही वकील गैरसायल ने गैरसायल खिलाफ प्रस्तुत किये गये अभियोग पत्र मे कार्यवाही ड्राप करने हेतु निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी व विद्वान वकील गेर सायल की बहस सुनने व मनन करने तथा अभियोग पत्र पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात व साक्ष्य का भली भांती अवलोकन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सायल द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा में गैरसायल के विरूद्व थाना कोतवाली सवाई माधोपुर में तीन प्रकरण पंजीबद्व है जिसमें से दो मुकदमें 326/18 एवं 340/18 में दोषसिद्व तथा बाद अनुसंधान एक अपराधिक प्रकरण 172/18 में आपराधिक अधिकारिता न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने के उपरान्त मुकदमा माननीय न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय पारित नहीं किया गया है। जिससे गैरसायल पर लगाये दोषों के लिए दोषी मानकर गुण्डा नहीं माना जा सकता है क्योंकि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 में स्पष्ट प्रावधान है कि सायल द्वारा इस्तगासा पेश करने से पूर्व छः माह की अवधि में गैरसायल द्वारा तीन बार अपराध कारित करते हुए पाया जाना आवश्यक है, लेकिन पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार गैरसायल का अपराध दो प्रकरण में ही कारित होना पाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर गैरसायल द्वारा भारतीय दण्ड संहिता 1960 की धाराओं के अर्न्तगत कम से कम तीन बार दोष सिद्व होने की पुष्टि नहीं होती है तथा पुष्ट अभिलेख व मौखिक साक्ष्याभाव के आधार पर गैरसायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अर्न्तगत गुण्डा स्पष्ट साबित नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सायल द्वारा गैरसायल के खिलाफ प्रस्तुत किया गया अभियोग–पत्र अस्वीकार किया जाकर गैरसायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 75 की कार्यवाही ड्राप की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:08:14 IST
Reason: SelfAttested